सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Judicial officers pay commission – regarding.
Ref:- 1.Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen-Uttarakhand/Relief/2011-12/1649 dt.04.10.2011
2. Government of Uttarakhand Law Department No.18/xxxvi(2)/2010-180/10 dt.11.01.2011

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director, Pension Payment Office,
Jambagh M J Road,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

Spl Secy PM

PM

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०), उत्तराखण्ड, देहरादून

(विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत)

पत्रांक संख्याः- पी०ए०/पेंशन/उत्तराखण्ड/राहत/2011-12/1649 दिनांकः- 4.10.2011

सेवा में,

~~प्रधान महालेखाकार~~/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद Andhra Pradesh

A.P. HYDERABAD-500 004
आं. प्र. हैदराबाद-500 004
OCT 2011
INWARD
O/o. Prl. A.G. (A&E)

167352
11/11/11

PM

विषयः–न्यायिक अधिकारियों को सेवा नैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, न्याय अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/XXXVI(2)/2010-180/10 देहरादून, दिनांक 11 जनवरी 2011 जो कि न्यायिक अधिकारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में है, आपको इस आशय से भेजा जा रहा है आप इन्हें अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की कृपा करें ताकि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय,

Shailendra

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

04/10/11

US966

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–2
संख्या– 18 /xxxvi(2)/2010-180/10
देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

न्यायिक अधिकारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों से सम्बद्व रिट पिटीशन संख्या– 1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसियेसन व अन्य प्रति भारत संघ व अन्य से सम्बद्व आई0ए0 संख्या– 244/09 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28–4–2010 द्वारा गठित न्यायमूर्ति ई0 पदमनाभन की संस्तुतियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19–7–2010 एवं दिनांक 26–7–2010 तथा दिनांक 2–8–2010 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– न्यायमूर्ति ई0 पद्मनाभन समिति की रिपोर्ट दिनांक 17–7–2009 में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को निम्नलिखित रूप में यथावत स्वीकार करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) <u>न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए है :–</u>

(1) दिनांक 1–1–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पद्मनाभन समिति द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाए प्रदान की जाती हैं:–

(i) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की पुनरीक्षित पेंशन समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ii) अधिकतम पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(iii) सेवारत न्यायिक अधिकारियों की भांति पेंशन भोगियों को Benefit of full neutralization of the cost of living अनुमन्य होगा।

(iv) दिनांक 1–1–2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा घरेलू सेवक का सेवायोजन किये जाने के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण पर रूपया 2500/– प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता देय होगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशनरों को भी रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से घरेलू नौकर भत्ता प्रदान किया जायेगा। उक्त बढ़ी हुई दर तात्कालिक प्रभाव से देय होगी।

(v) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से रूपया 1500/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जायेगा। पारिवारिक पेंशनरों को भी तात्कालिक प्रभाव से रू0 750/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश की शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(vi) दिनांक 1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों /पारिवारिक पेंशनरों को निम्न विवरण के अनुसार बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगीः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की मात्रा
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

(ख) <u>न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत हुए हैः–</u>

(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की पुनरीक्षित पेंशन समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नही होगी।

(i) अधिकतम पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(ii) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की भांति पेंशन भोगियों को (Benifit of full neutralization of the cost of living) अनुमन्य होगा।

(2) पेंशन :–

ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत हुए हों को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा 20 वर्ष मानी जायेगी।

(3) पेंशन का राशिकरणः–

दिनांक 1–1–2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन की राशि का राशिकरण पूर्व की भांति 50 प्रतिशत की व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।

(4) ग्रेच्युटी/डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटीः–

सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही किया जायेगा जो रू0 दस लाख से अधिक नहीं होगा।

(5) अवकाश नकदीकरण :–

दिनांक 1–1–2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा पूर्व में जारी शासनादेशों में निर्धारित की गयी व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(6) पारिवारिक पेंशन :–

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को समय–समय पर प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की जायेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के तद्विषयक नियमों/शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार ही पारिवारिक पेंशन निर्धारित की जायेगी।

(7) पेंशन की धनराशि :–

दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं परिवारिक पेंशनरों को निम्न विवरण के अनुसार बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की मात्रा
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

(8) <u>घरेलू नौकर भत्ता :–</u>

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को रू0 2500/– प्रतिमाह की दर से घरेलू नौकर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसके साथ ही पारिवारिक पेंशनरों को भी उक्त सुविधा रू0 1000/–प्रतिमाह की दर से घरेलू नौकर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। यह सुविधा तत्कालिक प्रभाव से देय होगी।

(9) <u>चिकित्सा भत्ता :–</u>

सेवानिवृत्त पेंशनरों को रू0 1500/– प्रतिमाह तथा पारिवारिक पेंशनरों को रू0 750/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता अनुमन्य होगा। शेष चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा। उक्त भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3– इस शासनादेश में वर्णित घरेलू नौकर भत्ता, चिकित्सा भत्ता तत्कालिक प्रभाव से देय होगें। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनाकित 19–7–2010 के अनुपालन में 60 प्रतिशत पेंशन एरियर का भुगतान तीन माह के भीतर एवं शेष 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान आगामी 09 माह के भीतर दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 2–8–2010 के अनुपालन में एरियर सहित उक्त समस्त भुगतान को दिनांक 31–3–2011 तक कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–7 के अशासकीय संख्या– 4538/xxvii(7)/2011 दिनांक 4–1–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव,

संख्या– 18 (1) /xxxvi(2)/2011 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2–प्रमुख सचिव, विधान सभा,उत्तराखण्ड।
3–महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4–प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड।
5–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, सहारनपुर रोड देहरादून।
6–समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7–निदेशक कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9–सूचना निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11–वित्त अनुभाग–7
12–इरला चैक अनुभाग/उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
13–सुश्री रचना श्रीवास्तव, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव,